उत्तर प्रदेश शासन

वन अनुभाग-1

संख्या:-29/2016/307/14-1-2016-300(04)/2003

लखनऊ दिनांक 15 फरवरी, 2016

<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय श्री एम0 के0 त्रिपाठी, भा0व0से0(सेवानिवृत्त) को उनकी सेवानिवृत्त की तिथि 31 दिसम्बर, 2015 को देय 300 दिन के उपार्जित अवकाश के समतुल्य नकदीकरण की अखिल भारतीय सेवायें(अवकाश) नियमावली-1955 के नियम-20(बी)(1) के अन्तर्गत सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त व्यय लेखाशीर्ष-2071-पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हित लाभ-01-सिविल-115-छुट्टी नकदीकरण हित लाभ-05-अखिल भारतीय सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारियों के अवकाश का नगदीकरण-33-पेंशन/ आनुतोषिक/अन्य सेवानिवृत्ति हित लाभ के नामे डाला जायेगा।

सुनील पाण्डेय

सचिव

<u>संख्या:-29/2016/307(1)/14-1-2016तददिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख वन संरक्षक, उ0प्र0, लखनऊ।

2- श्री एम0के0 त्रिपाठी, भा0व0से0(से0नि0) 14-एच0आई0जी0, ए0डी0ए0 कालोनी, घाट रोड, रसूलाबाद, इलाहाबाद-211004।

3- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद/केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।

4- वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, उ0प्र0, लखनऊ।

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0 वी0 सिंह)

उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in